पत्रांक–16 / से.गा.अ.–01–06 / 2017–.....1775(ii)..... /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस०के०जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक ....9/3/18....

विषय :– **झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी अधिनियम, 2011 तथा 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जाति / स्थानीय निवासी / आय प्रमाण पत्रों का निर्गमन सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–12679, दिनांक–29.12.2017 एवं पत्रांक–10796 / अनु०, दिनांक– 20.12.2016**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग से पूर्व में निर्गत पत्रों एवं 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत विषयांकित प्रमाण पत्रों के निर्गमन के संबंध में निर्गत प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। इस संबंध में पुनः उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी अधिनियम अन्तर्गत जाति / स्थानीय निवासी / आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम समय सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित है। किन्तु कई बार नियोजन / नामांकन / सरकारी योजनाओं इत्यादि के मामले में संबंधित कार्यालय / संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों की मांग 30 कार्य दिवस से कम की अवधि में की जाती है। उक्त स्थिति में आवेदक को उनकी आवश्यकता को देखते हुए झारसेवा पोर्टल के अन्तर्गत 'तत्काल सेवा' के तहत प्रमाण पत्रों के निर्गमन की व्यवस्था की गई है।

2. प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा जिलान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से सम्बन्धित दायर आवेदनों के निष्पादन की लगातार समीक्षा करने एवं इस क्रम में पाये गये लम्बित मामले, जो निर्धारित समय सीमा में निष्पादित नहीं हुए हैं, के संबंध में संबंधित कार्यालयों के दोषी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को चिन्हित कर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है।

3. उल्लेखनीय है कि उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गमन के संबंध में दायर आवेदनों के कतिपय मामलों के लम्बित होने की सूचना विभाग को प्राप्त होती रहती है। इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि जिलान्तर्गत निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों यथा–जाति / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आदि से संबंधित दायर आवेदनों की लगातार समीक्षा करते हुए लम्बित मामलों के निष्पादन के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाय। साथ ही सेवा देने की गारण्टी अधिनियम, 2011 के द्वारा निर्धारित समयावधि का दृढता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को चिन्हित कर इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

09/03/18

(एस०के०जी०रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव